

20/01/22

वकील वादी उपर्य वादी वकील को प्रतिवादीगण की तस्वी हेतु अनेक अपसर प्रदान करने के उपरान्त भी तस्वी नोटिस पेश नहीं किया। दिनांक 20/1/22 को प्रतिवादीगण की Registered तस्वी हेतु आदेशित किया गया था, उसके बाद भी तस्वी पेश नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कि वादी एवं उनके अधिवक्ता ने महज न्यायालय से समर्थ व्यर्थ करने के उद्देश्य से दावा पेश किया है। फलतः वादी का बाद तस्वी पेश करने के अभाव में अंततः Order के तहत खर्ज दिया जाता है परन्तु वकील फेसल शुभ्रा है, दर्ज नम्बर से कम होकर दावा प्रलप्त हो

सहायक कलक्टर
कोटपुस्तनी (नयपुर)